न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट शाहपुरा जयपुर–राज0

पीठासीन अधिकारी :– श्री संजीव कुमार खेदर , आर ए एस
प्रार्थना पत्र संख्या :– 29 / 2025

उनवान

1. रमेशचन्द रैगर पुत्र श्री सुवालाल रैगर,उम्र वयस्क, जाति रैगर, निवासी खोरा बीसल,तहसील आमेर,जिला जयपुर (राज)

– प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, कार्यालय तहसील शाहपुरा, जिल जयपुर, राजस्थान,
2. फजरू खां पुत्र श्री खाजू खां उम्र वयस्क, जाति मुसलमान, निवासी तोपचीवाडा, मनोहपुर, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत् नवीन रास्ता चाहने हेतु अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा –251 क की उप धारा (1) संशोधन अधिनियम 2010

निर्णय दिनांक :–02/01/2026

प्रकरण संक्षेप्त में इस प्रकार है कि :– यह कि मैं/हम प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण की जोत में नया रास्ता/मार्ग खोलने का आशय रखता हू/रखते हैं और इसलिए मैं/हम अभिधृति अधिनियम 1955 (1955 का अधिनियम संख्या 3) की धारा 251 (क) की उपधारा 2 के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन करता हू/ करते हैं।

2(क) आवेदक (आवेदको) का नाम, माता–पिता का नाम, आयः–प्रार्थना पत्र के शीर्षक में प्रार्थी के रूप में अंकित नाम रमेशचन्द

3. (क) आवेदक (आवेदको) का पूरा पताः निवासी खोरा बीसल, तहसील आमेर, जिला जयपुर, राजस्थान

4. जोत की विशिष्टियां जिसके लिए आवेदन किया गया हैः–

(क) उपखण्ड का नाम ग्राम सहित जिसमे जोत स्थित हैः– उपखण्ड शाहपुरा, ग्राम शिवपुरी पटवार हल्का मनोहरपुर तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर

(ख) एकड बीघा में क्षेत्रफल खसरा सहितः– खसरा नंबर 7451/1 रकबा 0.14 है0, 7455 रकबा 0.23 है0 कुल किता 2, कुल रकबा 0.37 है0 एंव आराजी खसरा न0 7456 रकबा 0.32 है0

5. अन्य खातेदारी खातेदारों की जोत की विशिष्टियां जिनमें से नया मार्ग खोलने/खुलवाने का आशय रखते हैं/ रखता हैः–

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा, जयपुर (राज.)

(क) नाम, माता–पिता, आयु:– प्रार्थना पत्र के शीर्षक में अप्रार्थी संख्या 2 के रूप में अंकित नाम फजरू खां।

(ख) पूरा नाम पता मुकाम पोस्ट ग्राम :– निवारी तोपचीवाड़ा, मनोहरपुर, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।

(ग) उपखण्ड के नाम सहित ग्राम का नाम जिसमें धृति स्थित है :– उपखण्ड शाहपुरा, ग्राम शिवपुरी, पटवार हल्का मनोहरपुर, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।

(घ) एकड़/बीघा में क्षेत्रफल सहित खसरा नंबर :– एनएच 48 से ग्राम बुरहानपुरा जाने वाली सड़क से अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 7443 की बतरफ दक्षिण की सींव (डौल) के सहारे–सहारे प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 7451/1 रकबा 0.14 है0, 7455 रकबा 0.23 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 0.37 है0 एवं आराजी खसरा नंबर 7456 रकबा 0.32 है0, वाकै ग्राम शिवपुरी में पहुंच के लिए 16 फीट चौड़े रास्ते की आवश्यकता है तथा प्रार्थी प्रस्तावित नया रास्ता की भूमि का आदेशानुसार डीएलसी दर के हिसाब से अप्रार्थीगण को रूपये/मुआवजा राशि का भुगतान करने के लिए अन्यथा में प्रस्तावित नये रास्ते की भूमि के बदले में स्वयं की भूमि देने के लिए तत्पर है।

नोट :– यह कि उक्त प्रस्तावित रास्ता जिसको प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा में लाल रंग से प्रदर्शित किया गया है।

नक्शा प्रार्थना–पत्र/आवेदन के साथ संलग्न है एवं अप्रार्थी जिसकी भूमि में से नया मार्ग चाहा गया है कि भूमि की जमाबंदी एवं नक्शा भी आवेदन के साथ संलग्न है।

अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 215 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मय शपथ–पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 7451/1 रकबा 0.14 है0, 7455 रकबा 0.23 है0 किता 2 कुल रकबा 0.37 है0 एवं आराजी खसरा नंबर 7456 रकबा 0.32 है0 वाकै ग्राम शिवपुरी में पहुंच के लिए अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 7443 रकबा 0.71 है0 वाकै ग्राम शिवपुरी, पटवार हल्का मनोहरपुर, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर में बतरफ दक्षिण की सींव (डौल) के सहारे–सहारे 16 फीट चौड़ाई में नया रास्ता का आदेश पारित कर तहसीलदार, शाहपुरा से उक्त नये रास्ते का राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करवाया जावे तथा तहसीलदार, शाहपुरा को उक्त नये मार्ग चालू करवाये जाने का भी आदेश फरमाया जाने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को विधिवत नोटिस जारी किये गये एवं तहसीलदार शाहपुरा को प्रकरण में रिपोर्ट भिजवाने हेतु लिखा गया। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री मदनलाल जाट ने वकालतनामा

* कार्यालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) *

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा, जयपुर (राज.)

पेश किया। तहसीलदार शाहपुरा के पत्रांक/रीडर/2025/2174 दिनांक 30.10.2025 के द्वारा प्रकरण में रिपोर्ट प्राप्त हुई। वकील अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना-पत्र एवं उजरात प्रार्थना-पत्र '' बाबत मौका रिपोर्ट दिनांक 16.10.2025 व दिनांक 29.10.2025 निरस्त कर पुनः वैकल्पिक रास्ता सहित मौका रिपोर्ट मंगवाने के कम में '' पेश किया। वकील प्रार्थी ने उजरात प्रार्थना-पत्र का जवाब पेश किया।

वकील अप्रार्थी ने अपने जवाब प्रार्थना-पत्र व उजरात प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रश्नगत आराजी में पहुंच हेतु अथवा प्रार्थी की उक्त खसरा नंबरान की खातेदारी भूमि के उत्तर दिशा में स्थित प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 9069/7439 रकबा 0.37 है0 आदि से आवागमन का वैकल्पिक रास्ता कदीम से रहा है तथा प्रार्थी की उक्त खातेदारी भूमि खसरा नंबर 7454/1 वगै0 में आवागमन का दूसरा वैकल्पिक रास्ता खसरा नंबर 7444, 7453 की पूर्वी सींव पर स्थित 12 फीट चौड़ाई का, जो आगे जाकर 7454/2 की व 7453 की मध्य की सींव से प्रार्थी के खसरा नंबर 7454/1 की भूमि में आवागमन का रास्ता स्थित है। उक्त रास्ते को आराजी खसरा नंबर 7444, 7453 के खातेदार बंशीधर पुत्र धन्नाराम अपनी उक्त खातेदारी भूमि में व अन्य भूमि में व खसरा नंबर 7453 की पूर्वी सीमा के पास बने अपने रिहायशी मकान में आवागमन के लिये कदीम से काम में लेता आ रहा है तथा तीसरा वैकल्पिक रास्ता प्रार्थी के पास मुझ अप्रार्थी की खसरा नंबर 7443 की पूर्वी व खसरा नंबर 7444, 7453 की पश्चिमी सींव/डोल से रहा है। उक्त दूसरे व तीसरे वैकल्पिक रास्तों को उक्त जवाब प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न नजरी-नक्शें में बरंग लाल से दर्शित किया गया है। खसरा नंबर 7444 की पूर्व-पश्चिम चौड़ाई काफी है तथा उक्त खसरा नंबर की पश्चिमी सींव से आठ मीटर छोड़कर भुरानपूरा जाने वाली सड़क की सीमा में टांसफार्मर रखा हुआ है। इस कारण खसरा नंबर 7444, 7453 की पश्चिमी व मुझ अप्रार्थी संख्या 2 की खसरा नंबर 7443 की पूर्वी सींव डोल से प्रार्थी सुगमतापूर्वक अपनी खसरा नंबर 7454/1 व अन्य भूमि में आवागमन कर रहा है। इस प्रकार प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ता उसके आवागमन की सुगमता व सुविधा के लिए विद्यमान है। इस कारण प्रार्थी मुझ अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 7443 में से पूर्वी सीमा के सहारे-सहारे नये रास्ते के लिये 16 फीट चौड़ाई की भूमि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है, जब प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है तो मुझ अप्रार्थी संख्या 2 की भूमि में से डीएलसी की दर से मुआवजा राशि का भुगतान कर नया रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। मुझ अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 7443 रकबा 0.71 है0 व अन्य भूमि वाकै ग्राम शिवपुरी के संबंध में माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) शाहपुरा, जिला जयपुर के समक्ष राजस्व वाद उनवानी फरीद बनाम फजरू खां वगै0 दावा बाबत् घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा मय प्रार्थना-पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा, जयपुर (राज.)

का आदेश जारी है, जो वर्तमान में भी प्रभावी है। वकील अप्रार्थी ने उजरात प्रार्थना–पत्र के संबंध में कथन किया कि प्रार्थी रमेशचन्द द्वारा मौका रिपोर्ट मंगवाने के संबंध में माननीय न्यायालय के समक्ष कोई प्रार्थना–पत्र पेश नहीं किया है तथा मुझ अप्रार्थी को प्रकरण में बिना सुने ही प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के विपरित प्रार्थी रमेशचन्द के प्रार्थना–पत्र धारा 251 (क) के आधार पर तहसीलदार, शाहपुरा से मौका रिपोर्ट तलब की गई है। उपतहसीलदार मनोहरपुर व भू0अ0नि0 तथा पटवारी हल्का ने मुझ अप्रार्थी संख्या 2 को बिना नोटिस दिये मुझ अप्रार्थी संख्या 2 की अनुपस्थिति में प्रार्थी रमेशचन्द से साजकर मनमाने व गलत रूप से प्राकृतिक न्याय व कानूनी प्रावधानों के विपरित तथाकथित मौका रिपोर्ट दिनांक 16.10.2025 व दिनांक 29.10.2025 तैयार की है। उक्त मौका रिपोर्ट में अन्य वैकल्पिक रास्तों का उल्लेख नहीं किया गया है, जबकि जवाब प्रार्थना–पत्र के संलग्न बरंग लाल से प्रदर्शित वैकल्पिक रास्तों का उल्लेख है। उपतहसीलदार मनोहरपुर व भू0अ0नि0 तथा पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में खसरा नंबर 7444 के मेड के किनारे बिजली ट्रांसफार्मर रखा होने व खसरा नंबर 7444 व 7453 में से रास्ते का प्रस्ताव भौतिक रूप से दिया जाना संभव नहीं होने का व खसरा नंबर 7453 में आंवले के पेड़ लगे होने का गलत व मनघडन्त रूप से उल्लेख किया है। इस कारण प्रस्तुत मौका रिपोर्ट को निरस्त कर तहसीलदार, शाहपुरा से वैकल्पिक रास्ता सहित प्रार्थी द्वारा चाहे गए प्रस्तावित रास्ते की मौका रिपोर्ट उभयपक्षों की उपस्थिति में तैयार करवाकर मंगवाया जाना प्रकरण के न्यायपूर्ण निस्तारण के लिए उचित व न्यायसंगत है। अतः मौका रिपोर्ट दिनांक 16.10.2025 व दिनांक 29.10.2025 को अपास्त कर तहसीलदार शाहपुरा से प्रार्थी के प्रस्तावित रास्ते व अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा जवाब प्रार्थना–पत्र में उल्लेखित वैकल्पिक रास्तों सहित की मौका रिपोर्ट मंगवाया जाने के आदेश फरमाये जाने की कृपा करें।

वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना–पत्र व जवाब उजरात प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मिन उत्तरदाता द्वारा खसरा नंबर 7443 रकबा 0.72 हैक्ट. वाकै ग्राम शिवपुरी मे से नया रास्ता अप्रार्थी सं. 2 की खातेदारी मे से चाहने हेतु पेश किया है। उक्त रास्ते के अलावा मिन उत्तरदाता की खातेदारी में पहुंच हेतु अन्य विकल्प रास्ता नही था। मान्य न्यायालय द्वारा तहसीलदार शाहपुरा से मौका रिपोर्ट तलब करना सत्तत प्रक्रिया है इसके संबंध मे मौका मंगवाने के संबंध से अलग से कोई अन्य प्रार्थना पत्र पेश करने का कोई प्रावधान नही है। साथ ही तहसीलदार भू अभिलेख निरक्षक व पटवारी हल्का मौका स्थिति के अनुसार अपनी रिपोर्ट तैयार कर कानूनन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते है। उक्त प्रकरण मे राजस्व कर्मचारी द्वारा मौका रिपोर्ट दिनांक 16.10.2025 व दिनांक 29.10.2025 वास्तविक मौका स्थिति अनुसार मान्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है। अप्रार्थी सं 2 द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र धारा 251 (क) मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 9069/7439 रकबा 0.37 हैक्ट,

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा, जयपुर (राज.)

व आवागमन का वैकल्पिक रास्ता बताया है परन्तु उक्त खसरा नबर 9069/7439 तक आने तक कोई रास्ता नहीं है तथा प्रार्थी की उक्त खसरा नंबर 9069/7439 से पहले 7438 जिसकी सीमा प्रार्थी के खसरा तक आने के लिये लगभग 170 मीटर दूरी पडती है तथा उससे लगता हुये खसरा नबर 7467 के पास की भूमि है जिससे होकर कानूनन रास्ता नही दिया जा सकता। अप्रार्थी से 2 द्वारा दुसरा वैकल्पिक रास्ता खसरा नंबर 7444, 7453 की पूर्वी सींव पर होते हुये खसरा नं 7454/2 व 7453 की मध्य की सींव से प्रार्थी के खसरा नबर 7454/1 की खातेदारी भूमि से बताया गया है परन्तु खसरा नंबर 7453 के पूर्वी व उत्तरी सीमा से लगते हुइ खातेदार के पुख्ता मकान व बोरिंग, मंदिर व पशु के पानी का होद व बाउण्ड्री वाल बने हुई है जहां से रास्ता नही निकाला जा सकता है व अप्रार्थी सं, 2 द्वारा तीसरा विकल्प रास्ता खसरा नंबर 7444 व 7453 की पश्चिमी सीमा व खसरा नंबर 7443 की पूर्वी दिशा की सीव से मिन उत्तरदाता के खसरा नंबर 7454/1 की भूमि तक बताया गया है परन्तु खसरा नंबर 7444 की पश्चिमी दक्षिणी कोने पर ट्रांसफार्म रखा हुआ है तथा खसरा नंबर 7453 में 5 वर्ष से अधिक समय से आंवले के पेड खडे है ऐसी स्थिति में अप्रार्थी स 2 द्वारा बताये गये वैकल्पिक रास्ते मे मिन उत्तरदाता को रास्ता दिया जाना संभव नही है। मिन उत्तरदाता द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा खातेदारी मे पहुंच हेतु अन्य कोई रास्ता नही दिया जा सकता। इस बाबत मौका रिपोर्ट मे भी अंकन किया हुआ है। अप्रार्थी सं0 2 द्वारा खसरा न 7444 व 7443 के मध्य की सीव से 8 मीटर दूर भुरानपुरा सडक सीमा से विद्युत ट्रासफार्मर रखना बताया है जो कतई गलत है। उक्त ट्रांसफार्मर 7444 की सीमा में ही रखा हुआ है रिपोर्ट दिनांक 29.10.2025 व 16.10.2025 मे मौका स्थिति के अनुसार ही बिजली ट्रासफार्मर रखना अंकित किया है। अप्रार्थी से 02 द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र मनघडंत तथ्यो व उक्त प्रभाव में देरी करने की गरज से प्रस्तुत किया गया है जो प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है। यहकि प्रार्थना पत्र का मद नं. 3 गलत है अस्वीकार है। न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत रिर्पोट नायब तहसीलदार, भू अभिलेख अधिकारी द्वारा तैयार की गई है जो पूर्णत विधि सम्मत है एवं मान्य राजस्व मण्डल अजमेर राजस्थान के आदेश क्रमांक रा. म/न्याय/स्था/4–51/2008/विविध/10547 दिनांकित 05.10.2020 की पालना मे धारा 251 (क) के तहत प्रस्तुत आवेदनो के संबंध मे दिये गये निर्देशानुसार तैयार की गई है तथा भू अभिलेख व हल्का पटवारी व नायब तहसीलदार द्वारा मौका स्थिति के अनुरूप तैयार कर तहसीलदार शाहपुरा के प्रस्तुत की है तथा तहसीलदार द्वारा उक्त रिपोर्ट मान्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है। राजस्व अधिकारियो का व्यक्तिगत कोई हित नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा, जयपुर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर)

अप्रार्थी सं. 2 द्वारा मौके रिपोर्ट के विपरीत मनघडंत रूप से निराधार तथ्य के आधार पर अपनी उक्त आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो प्रथम दृष्टया खारिज किये जाने योग्य है। अतः श्रीमान की सेवा मे जवाव प्रार्थना पत्र बावत आपत्ति रिपोर्ट अप्रार्थी स 02 का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निराधार व वेबुनियाद आधारो पर प्रस्तुत होने के कारण मय हर्जे खर्चे खारिज फरमाया जाने क आदेश प्रदान करे एवं तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार लाल रंग से प्रस्तावित रास्ता प्रार्थी को दिये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात्, प्राप्त तहसीलदार शाहपुरा से मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत एवं वाद बहस मनन उपरांत जाहिर होता है कि तहसीलदार शाहपुरा द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत रिपोर्ट में अंकन किया गया है कि ग्राम शिवपुरी के आराजी खसरा नंबर 7454/1, 7455 व 7456 में रास्ता चाहने हेतु ग्राम शिवपुरी के खसरा 7443 रकबा 0.71 है0, में 116 X 6 = 696 व0मी0 भूमि रास्ते हेतु प्रस्तावित की है एवं अंकन किया है कि खसरा नंबर 7454/1, 7455 व 7456 में जाने (पहुंच) हेतु उक्त प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। उक्त रास्ता लघुतम दूरी का है। खसरा नंबर 7444 व 7453 में से रास्ते का प्रस्ताव दिया जाना भौतिक रूप से सही नहीं है चूंकि खसरा नंबर 7444 में आम रास्ते के किनारे मेड़ पर बिजली का ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है तथा खसरा नंबर 7453 में आंवले के पेड़ लगे हुए है। उक्त प्रस्ताव खसरा नंबर 7817/2.17 गै0मु0 रास्ते के किनारे से प्रस्तावित है। उपर्युक्तानुसार तहसीलदार शाहपुरा की रिपोर्ट में स्पष्ट अंकित किया है कि के आराजी खसरा नंबर 7454/1, 7455 व 7456 में पहुंच हेतु केवल मात्र खसरा नंबर 7443 रकबा 0.71 है0 के अतिरिक्त और कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। उक्त रास्ता लघुतम दूरी का है। अतः उक्त विवेचनों के फलस्वरूप वकील अप्रार्थी द्वारा पेश आपत्ति (उजरात प्रार्थना पत्र बाबत मौका रिपोर्ट दिनांक 16.10.2025 व दिनांक 29.10.2025 निरस्त कर पुनः वैकल्पिक रास्ता सहित मौका रिपोर्ट मंगवाने के कम में), में कोई बल नहीं होने से बल्कि सारहीन होने से खारिज की जाती है। चूंकि प्रार्थीगण ने अपनी जोत तक पहुंचने हेतु उक्त प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) पेश किया है जिसको ध्यान में रखते हुए तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित रास्ता दिया जाना उचित समझते है। अतः मुताबिक तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित सबसे कम भूमि रास्ते हेतु आराजी खसरा नंबर 7454/1, 7455 व 7456 में रास्ता चाहने हेतु ग्राम शिवपुरी के खसरा 7443 रकबा 0.71 है0, में से 116 X 6 = 696 व0मी0 भूमि अप्रार्थीगण की भूमि में से प्रस्तावित रास्ता दिया जाना उचित समझते है।

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा, जयपुर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति 1955 की धारा – 251 क की उप धारा (1) संशोधन अधिनियम 2010 न्यायिक दृष्टि से स्वीकार किया जाकर ग्राम शिवपुरी तहसील शाहपुरा के आराजी खसरा नंबर 7454/1, 7455 व 7456 की जोत तक पहुंचने हेतु आराजी खसरा नंबर 7443 रकबा 0.71 है0 भूमि में से 116 x 6 = 696 वर्गमीटर भूमि तहसीलदार शाहपुरा द्वारा रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि की वर्तमान में प्रचलित डीएलसी दर से 2 गुना भूमि की कीमत आंकलन कर राशि प्रार्थीगण से वसूल कर नियमानुसार खातेदारान/अप्रार्थीगण को भुगतान किया जाकर राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस में सिवायचक गै0 मु0 रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त मौका रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार तहसीलदार शाहपुरा को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 02/01/2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी * शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान *

(संजीव कुमार खेदड़)
उपखण्ड अधिकारी
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा, जयपुर (राज.)
शाहपुरा जिला जयपुर